संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/रा0ब0सहा0नि0/सेल–2/2019/04 भोपाल,दिनांक 09/01/2019
प्रति,

संचालक/अधिष्ठाता/अधीक्षक,
निजी चिकित्सालय
मध्य प्रदेश।

विषयः– आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत सम्मिलित होने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं, कि आपके द्वारा आपकी संस्था को आज दिनांक तक आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित नहीं किया गया हैं। राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के सभी प्रोसिजर आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित हैं और राज्य बीमारी सहायता निधि 31 मार्च 2019 तक आयुष्मान भारत योजना में समाविष्ट हो जायेगी। जिसके उपरान्त आप पात्र परिवारों को योजनान्तर्गत लाभ नहीं दे सकेगें।

अतः आप को अवगत कराया जाता हैं, कि यदि आपकी संस्था भविष्य में योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों/परिवार को चिकित्सीय लाभ देना चाहती हैं, तो आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत आपनी संस्था को सम्मिलित किये जाने की प्रकिया प्रारंभ कर अद्योहस्ताक्षकर्ता को अवगत करायें, अन्यथा आपकी संस्था 01 फरवरी 2019 से राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के प्रकरणों को स्वीकृत नहीं कर सकेगीं।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा निर्देशित

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्य.प्रदेश

पृ.क. 4/रा0ब0सहा0नि0/सेल–2/2019/05 भोपाल,दिनांक 09/01/2019
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत निरामय, जय प्रकाश अस्पताल, आई.सी.ब्यूरो, प्रथम तल, भोपाल।

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्य.प्रदेश